न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—15 / 2019 / अपील

1 सरदार भारती
2 राजेन्द्र प्रसाद } पुत्रगण स्व0 लिछमण।
3 कुम्भा राम

समस्त जाति रैगर निवासीगण दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

— अपीलान्ट्स

ब ना म

1 ग्राम पंचायत दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जरियेः सरपंच ग्राम पंचायत दांतारामगढ।
2 रामेश्वर लाल
3 पांचू राम भारती
4 फूलचन्द भारती } पुत्रगण स्व. लिछमण।
5 कैलाश चन्द भारती

समस्त जाति रैगर निवासीगण दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 888 तस्दीक ग्राम पंचायत दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

उपस्थितिः

1 श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील अपीलान्ट्स की ओर सें।

निर्णय दिनांक 17.03.2020

1. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि कृषि भूमियां खसरा नम्बर 645, 657 सें 661, 665, 666, 667 किता 9 कुल रकबा 3.57 हैक्टर तन ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिनके पुराने खसरा नम्बर 778 / 2, 782 / 2, 785 किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा रहे है। उक्त कृषि भूमियां अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के दादा भूरा पुत्र नानगा के नाम दर्ज रही है। विरासत के नामांतकरण संख्या 888 द्वारा उक्त कृषि भूमियां अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को प्राप्त हुई है परन्तु संहवन सें उक्त नामांतकरण के दौरान अपीलार्थी संख्या 1 का नाम श्रवण दर्ज कर दिया एवं अपीलार्थी संख्या 2 का नाम राजू दर्ज कर दिया गया। भूमि

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

खसरा नम्बर 522 रकबा 0.21 हैक्टर तन ग्राम रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 710 रकबा 17 बिस्वा रहे है। उक्त वर्णित कृषि भूमि भी अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की पैत्रिक है जिसकी पूर्व में खातेदारी भूरा पुत्र नानगा के नाम दर्ज रही है उक्त भूमि विरासत के नामांतकरण संख्या 888 सें अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को प्राप्त हुई है। उक्त भूमियों के नामांतकरण संख्या 888 में अपीलार्थीगण संख्या 1, 2 का गलत नाम दर्ज कर दिया गया इसके साथ ही संहवन सें अपीलार्थी संख्या 3 कुम्भाराम का नाम दर्ज ही नहीं किया। उक्त नामांतकरण त्रुटि के कारण आज दिवस को अपीलार्थी कुम्भाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है। अपीलार्थीगण की माता राधादेवी की मृत्यु हो चुकी है इसलिए अपील में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। विवादग्रस्त नामांतकरण संख्या 888 में रेस्पोडेन्ट का नाम भी वास्तविक दस्तावेजात सें भिन्न दर्ज है। अपीलार्थीगण संख्या 1, 2 के वास्तविक दस्तावेजात के अनुसार नाम तथा अपील मेमो की मद संख्या एक व दो में वर्णित भूमियों में दर्ज नाम की भिन्ता एवं अपीलार्थी संख्या 3 का नाम मेमो की मद संख्या 2 में दर्ज ही नहीं होने के कारण उक्त विवादग्रस्त नामांतकरण संख्या 888 की अपील करनी आवश्यक हुई है। उक्त नामांतकरण त्रुटि के कारण अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 कृषि भूमियों सें सरकारी सहायता/सुविधा प्राप्त करने सें वंचित है एवं खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसलिए अपील अपीलांट आंशिक रूप सें स्वीकार करके उक्त विवादग्रस्त नामांतकरण में शुद्धि दर्ज करने के आदेश करना उचित एवं न्यायसंगत है। न्यायालय आदेश सें ही मृतका राधादेवी का नाम हज्ब किया जाना उचित है चूंकि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के अलावा अनरू कोई व्यक्ति उसका वारिस नहीं है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 888 निरस्त करने हेतु आग्रह किया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

संख्या 888 का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत दांतारामगढ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अपीलांट संख्या 1 के दो नाम श्रवण कुमार व सरदार भारती बताये गये है तथा अपीलांट संख्या 2 के भी दो नाम राजेन्द्र प्रसाद व राजू पुत्र लिछमण बताये गये है। अपीलाधीन नामांतकरण तथा प्रस्तुत दस्तावेजों में अपीलार्थीगणों के नामों में भिन्नता है तथा अपीलांट संख्या 3 कुम्भाराम का नाम अपीलाधीन नामांतकरण में नहीं है अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 888 बतस्दीक ग्राम पंचायत दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ